भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1236
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार अवसरों का सृजन

1236 श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की समग्र स्थिति पर कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो गत छह महीने में शहरी, ग्रामीण और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के और अवसरों के सृजन के लिए क्या उपाए किए गए थे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। देश कोविड-19 के खतरों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर तरीके से तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाता है। युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर आधारित है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, कोविड-19 के कारण बीमित कामगार जो रोजगार खो चुके हैं, को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है। बढ़ा हुआ लाभ और छूट की शर्तें 24.03.20 से 31.12.2020 की अवधि हेतु लागू हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्माण कामगारों को 5000 करोड़ की राहत प्रदान करने के लिए भवन एवं कामगार कल्याण निधि का प्रयोग करने का आदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

रोजगार-बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.09.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1236 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2018-19 (पीएलएफएस) के दौरान सभी सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार आयु के व्यक्तियों का उपलब्ध सीमा तक बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
1	आंध्र प्रदेश	4.5	7.3	5.3
2	अरुणाचल प्रदेश	7.3	11.1	7.9
3	असम	6.3	10.7	6.7
4	बिहार	10.2	10.5	10.2
5	छत्तीसगढ़	1.8	5.5	2.4
6	दिल्ली	0.5	10.8	10.4
7	गोवा	8.0	9.1	8.7
8	गुजरात	3.3	3.2	3.3
9	हरियाणा	9.5	8.7	9.2
10	हिमाचल प्रदेश	4.8	8.8	5.2
11	जम्मू और कश्मीर	3.9	10.1	5.1
12	झारखंड	4.5	8.7	5.3
13	कर्नाटक	2.7	5.2	3.6
14	केरल	8.4	9.7	9.0
15	मध्य प्रदेश	2.4	7.4	3.5
16	महाराष्ट्र	4.2	6.4	5.0
17	मणिपुर	9.8	9.2	9.6
18	मेघालय	2.0	7.5	2.7
19	मिजोरम	5.2	9.1	7.0
20	नागालैंड	16.2	21.1	17.5
21	ओडिशा	6.1	12.7	7.0
22	पंजाब	7.7	7.0	7.4
23	राजस्थान	4.6	9.5	5.7
24	सिक्किम	2.5	4.9	3.1
25	तमिलनाडु	6.4	6.7	6.6
26	तेलंगाना	6.8	11.2	8.4
27	त्रिपुरा	9.3	13.5	10.1
28	उत्तराखंड	7.2	13.4	8.9
29	उत्तर प्रदेश	4.3	10.6	5.7
30	पश्चिम बंगाल	3.5	4.9	3.9
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	14.6	12.0	13.5
32	चंडीगढ़	1.6	8.2	7.9
33	दादरा और नगर हवेली	1.1	1.8	1.5
34	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
35	लक्षद्वीप	40.0	28.6	31.6
36	पुडुचेरी	11.6	6.0	8.3
	अखिल भारत	**5.0**	**7.7**	**5.8**

स्रोतः पीएलएफएस 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय।